

दिल्ली विधान सभा
समाचार भाग - 2

॥ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारो ॥
सोमवार, 29 जनवरी, 1996/माघ 9 1917 ॥शक॥

संख्या 239

सदस्यों को नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित अतिरिक्त
उपायुक्त पुलिस, नई दिल्ली से दिनांक 24.01.96 को निम्नलिखित
संसूचना दिनांक 25.01.1996 को प्राप्त हुई :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली राष्ट्रीय
राजधानी राज्यक्षेत्र को विधान सभा के माननीय सदस्य
सर्वश्री राम भूज, ओ.पो. बब्बर और कर्ण सिंह तंवर को
उनके अन्य समर्थकों सहित आज अर्थात् दिनांक 24.01.96
को अपराहन 12.20 बजे चौक पंडितपंत मार्ग/तालकटोरा
रोड, नौर्थ-अर्च के सामने, नई दिल्ली से पुलिस के विधिसम्मत
निर्देशों को अवज्ञा करने के कारण पुलिस अधिनियम 1978
की धारा 65 के अंतर्गत नज़रबंद किया गया ।

उन्हें एवं उनके अन्य समर्थकों सहित उसी दिन अर्थात्
दिनांक 24.01.96 को अपराहन 12.45 बजे रिहा
कर दिया गया ।

पी. एन. गुप्ता
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)
Monday, January 29, 1996/Magh 9, 1917 (Saka)

No. 239

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following wireless message dated 24.2.1996 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly from the Additional Deputy Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi was received on 25.1.96 :-

"I have the honour to inform you that S/Shri Ram Bhaj, O.P. Babbar and Karan Singh Tanwar, Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi alongwith their other supporters were detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful direction of Police from Round about Pt. Pant Marg/Talkatora Road, in front of Northern Church, New Delhi at 1220 hours today i.e. 24.1.96.

They were released at 1245 hours from the same place and the same day. i.e. 24.1.1996.

P.N. GUPTA
SECRETARY